नि. दला

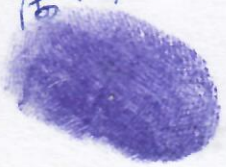

नि. पना

राजुसिंह

नि. प्रेमा

नि. रता

नि. वजा

राजेन्द्रसिंह

नि. देवा

तुलसासिंह

नि. गणेश

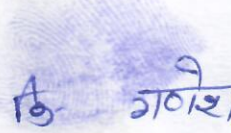

के अवलोकन से सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रमोड़ा की आराजी नम्बर 883 रकबा 1-03-00 भूमि से संबंधित वाद न्यायालय मे विचाराधीन है। जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त भूमि पर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है कि उभय पक्षकारान मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नियम से जमा हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) ... लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट